

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक, द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/RJ/Water/18811/2016

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	चम्बल - गीलवाड़ा पेयजल परियोजना (फैज - I)
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	राजस्थान
(ii)	जिला	चित्तौड़गढ़
(iii)	वन प्रभाग	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टर में)	3.1501 Ha. (उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में) (पूर्व में जारी स्वीकृति में डाईवर्टड भूमि 0.878 हैक्टर)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(1) वनखण्ड भूजर (आरक्षित वन)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
(vii)	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल. -2 मीटर पर परिगणना और एफआर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	सूची संलग्न है।
(viii)	भू-संरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त क्षेत्र भू संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है। टिप्पणी।	
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वन सीमा में ही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाय)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा दे।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई संरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भाग - I के कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।

9	<p>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है, क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन का कार्य नहीं किया (हों / नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर गया है। परन्तु सहायक अधियंता (प्रक्षेत्र) अजमेय की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे। क्या उल्लंघन विद्युत वितरण निगम लि. विजौलिया द्वारा अपने संबंधी कार्य अभी भी चल रहा है।</p>	<p>क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन का कार्य नहीं किया (हों / नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर गया है। परन्तु सहायक अधियंता (प्रक्षेत्र) अजमेय की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे। क्या उल्लंघन विद्युत वितरण निगम लि. विजौलिया द्वारा अपने पत्रांक अधिविनियम/सहा/पदस/विजी/ फैमद / 15-16 / 326 दिनांक 11.5.15 द्वारा मैसर्स फैमद रटक्करस, कोटा को यह अनिधिकृत तौर पर गलत लेख किया गया कि बनक्षेत्र में सङ्केत एवं विद्युत लाइन कार्य हेतु वन विभाग से स्थीकृति प्राप्त कर ली गई। इस क्रम में सहायक अधियंता, अधिविनियम, विजौलिया को उप वन संरक्षक, वित्तीडगढ़ के पत्रांक 6049 दिनांक 6.7.15 के द्वारा पाबंद किया गया कि विना सक्षम स्थीकृति के वन क्षेत्र में विजली लाईन व सङ्केत का कार्य न किया जावें।</p>
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	पूर्व जारी स्थीकृति के क्रम में प्रतिपूरक भूमि खसरा नं. 32, ग्राम भैसरोडगढ़ जिला चित्तीडगढ़ (दन मण्डल उ.व.सं. मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा) में आंवटित की गई थी। उक्त प्रस्ताव अनुसार अतिरिक्त हैक्टर भूमि के बदले प्रतिपूरक भूमि ग्राम राजपुरा, जिला भीलवाड़ा में उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रक्रियारत है। (पेज क्र. 80 ए)
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क व उप वन संरक्षक भीलवाड़ा द्वारा संलग्न किया जाना है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन ऐजेन्सी, समय अनूसूची लागत ढांचा आदि।	उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क व उप वन संरक्षक भीलवाड़ा द्वारा संलग्न किया जाना है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क व उप वन संरक्षक भीलवाड़ा द्वारा संलग्न किया जाना है।
(v)	प्रतिपूरक वनिकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क व उप वन संरक्षक भीलवाड़ा द्वारा संलग्न किया जाना है।
11	जिला वन संरक्षक, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi) से (xii) तथा 8,9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7500.65 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	1789.70 वर्ग कि.मी.

(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	894.6571 है। (25 प्रकरण)
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	901.718 है।
(ख)	बनेतर भूमि पर	125.872 है।
(v)	8.4.2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	900.840 है।
(ख)	बनेतर भूमि पर	61.840 है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक, की विशेष सिफारिश	भारत सरकार की इसी प्रकरण में स्वीकृति दिनांक 8.10.2014 से वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन की अन्तिम स्वीकृति जारी हो चुकी है। प्रत्यावर्तित वन भूमि में उपरोक्त स्वीकृति अनुसार यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वर्तमान प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 5.8 मी.के. रथान पर 17 मी. चौड़ाई में प्रत्यावर्तन, लम्बाई में आंशिक संशोधन के साथ चाहा जा रहा है। जिसे वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तावित भूमि के प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होगा।

दिनांक : 8.4.2016
 स्थान : चित्तौड़गढ़

अ.
 उप वन संरक्षक,
 चित्तौड़गढ़